RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12360/2025

Vaksi Ram S/o Haliya, Aged About 46 Years, R/o Sarkan Sai Police Station Sadar District Dungarpur. (At Present Lodged In Dist. Jail Dungarpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jitendra Ojha
For Respondent(s)	:	Mr. Urjaram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना कोतवाली डूंगरपुर जिला डूंगरपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त को न्यायिकेत्तर संस्वीकृति (Extra Judicial Confession) के आधार पर अपराध में संलिप्त किया गया है जबकि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का गवाह पी.डब्ल्यु 5 लीलुराम व पी.डब्ल्यु 6 भंवरलाल पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी गई है तथा प्रार्थी–अभियुक्त व मृतका का पुत्र बतौर पी. डब्ल्यु 3 परीक्षित हुआ है जिसने अपनी जिरह में यह कहा है कि उसके मामा जीवा ने शक के आधार पर कार्यवाही की थी और शक के आधार पर ही स्वयं ने बयान देना बताया। यह स्वीकार किया कि वक्सीराम प्रार्थी–अभियुक्त की माता को राजीखुशी ले गया था और स्वयं के सामने कोई पत्थर जब्त नहीं करना भी स्वीकार किया है। इसी प्रकार पी डब्ल्यु 1 जीवा मुस्तगीस द्वारा भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि साक्षी की बहन व वक्सीराम दोनों राजीखुशी रहते थे। यह भी स्वीकार किया है कि स्वयं की बहन से घटना से पहले कोई बात नहीं हुई थी। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 21.04.

2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य विचारण के दौरान नहीं आने से और विचारण में समय लगने की सम्भावना होनो बताये हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस मामले में गवाह पी.डब्ल्यु 5 व पीडब्ल्यु 6 दोनों न्यायिकेत्तर संस्वीकृति (Extra Judicial Confession) के गवाह है जो विचारण के दौरान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। गवाह पी.डब्ल्यु 3 व पी.डब्ल्यु 1 जीवा की जिरह पर विचार किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक 21.04.2024 को गिरफ्तार होने के पश्चात न्यायालय में पेश करने से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी–अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **वक्सीराम पुत्र हलिया** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

19-S N LOHRA/-